

फा. सं. 42/10/2014-पी एण्ड पी डब्ल्यू(जी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन,

खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

दिनांक: 28 सितंबर, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की स्वीकृति - संशोधित दर दिनांक 1.7.2015 से लागू ।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 27 अप्रैल, 2015 के कार्यालय ज्ञापन सं. 42/10/2014-पी एण्ड पी डब्ल्यू(जी) का संदर्भ देने तथा यह कहने का निर्देश हुआ है कि राष्ट्रपति ने यह निर्णय लिया है कि केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों को देय महंगाई राहत दिनांक 1 जुलाई, 2015 से मौजूदा 113% से बढ़ाकर 119% कर दी जाएगी ।

2. ये आदेश (i) केन्द्रीय सरकार के सभी सिविलियन पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों (ii) रक्षा सेवा एस्टीमेट से भुगतान किए जाने वाले सशस्त्र सेना पेंशनभोगियों, सिविलियन पेंशनभोगियों, (iii) अखिल भारतीय सेवा पेंशनभोगियों, (iv) रेलवे पेंशनभोगियों तथा (v) बर्मा सिविलियन पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों तथा पाकिस्तान से विस्थापित सरकारी पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों जो भारतीय नागरिक हैं, किंतु जिन्हें पाकिस्तान सरकार के सौजन्य से पेंशन प्राप्त हो रही है, तथा जो इस विभाग के दिनांक 15.9.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 23/3/2008-पी एण्ड पी डब्ल्यू(बी) के साथ पठित दिनांक 23.2.1998 के कार्यालय ज्ञापन सं. 23/1/97-पी एण्ड पी डब्ल्यू (बी) के अनुसार 3500/- रूपए प्रतिमाह तदर्थ अनुग्रह भत्ता प्राप्त कर रहे हैं, पर लागू होंगे ।

3. केन्द्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत्त निकाय में आमेलन होने पर एकमुश्त धनराशि आहरित किया था, तथा जो इस विभाग के दिनांक 14.07.1998 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/59/97-पी एण्ड पी डब्ल्यू (डी) के अनुसार पेंशन के 1/3 संरक्षित भाग की बहाली तथा बहाल की गई धनराशि के संशोधन के लिए अर्ह हो गए थे, वे पूर्ण पेंशन पर अर्थात् संशोधित पेंशन जो कि विलयित कर्मचारी बहाली के दिन प्राप्त करता यदि वह विलयन पर एकमुश्त भुगतान प्राप्त न किया होता, इस विभाग के दिनांक 14.07.98 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 5 में दी गई शर्तों के पूरा होने के अधीन 1.7.2015 से 119% की दर से महंगाई राहत के भुगतान के हकदार होंगे । इस संबंध में इस विभाग के दिनांक 12.7.2000 के का. ज्ञापन सं. 4/29/99-पी एण्ड पी डब्ल्यू(डी) में निहित अनुदेश देखें ।

4. महंगाई राहत के भुगतान में पैसे वाले अंश को अगले रूपए में परिवर्तित कर दिया जाएगा ।

5. नौकरीपेशा कुटुम्ब पेंशनभोगियों तथा केन्द्र सरकार के पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों के मामले में महंगाई राहत को अभिशासित करने वाले अन्य प्रावधान इस विभाग के दिनांक 2.7.1999 के कार्यालय ज्ञापन सं. 45/73/97-पी एण्ड पी डब्ल्यू(जी) तथा इस विभाग के यथासंशोधित दिनांक 9 जुलाई, 2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 38/88/2008-पी एण्ड पी डब्ल्यू (जी) में निहित प्रावधानों के अनुसार विनियमित होंगे। जहां पेंशनभोगी एक से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहा है उन मामलों में महंगाई राहत के विनियमन से संबंधित प्रावधानों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
6. उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के मामले में आवश्यक आदेश न्याय विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे।
7. प्रत्येक पृथक मामले में देय महंगाई राहत की मात्रा की गणना करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित पेंशन संवितरण प्राधिकरणों की होगी।
8. महालेखाकार कार्यालय एवं प्राधिकृत पेंशन वितरक बैंकों से अनुरोध है कि वे सभी महालेखाकारों को संबोधित दिनांक 23/04/1981 के भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पत्र सं. 528-टी ए, 11/34-80-11 तथा भारतीय स्टेट बैंक एवं इसके सहायक बैंकों तथा सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को संबोधित भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 21 मई, 1981 के परिपत्र सं. जीएएनबी सं. 2958/जी ए-64 (ii) (सी जी एल)/81 के आधार पर किसी अन्य अनुदेश की प्रतीक्षा किए बिना उपर्युक्त अनुदेशों के आधार पर पेंशनभोगियों आदि को राहत भुगतान का प्रबंध करें।
9. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग से संबंधित पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों पर इन आदेशों के लागू होने का संबंध है, ये नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।
10. यह वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 23 सितंबर, 2015 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/3/2015-ई.11(बी) की सहमति से जारी किया जा रहा है।

च तनेजा

(चरनजीत तनेजा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव और महालेखाकार।
2. प्रतिलिपि: भारतीय रिजर्व बैंक और सभी प्राधिकृत पेंशन वितरक बैंकों को सूचनाार्थ।

पेंशन के बारे में आदेशों जिनमें उपर्युक्त आदेश शामिल हैं के लिए कृपया इस विभाग की वेबसाइट <http://pensionersportal.gov.in> देखें।